[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2013 का विधेयक संख्यांक 53

[दि प्रिवेंशन आफ करप्शन (अमेंडमेंट) बिल, 2013 का हिन्दी अनुवाद]

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 5 का संशोधन।

1988 का 49

2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्—

लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध।

'7. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए,—

(क) किसी व्यक्ति से इस आशय से कोई वित्तीय या अन्य लाभ लेने के लिए अनुरोध करेगा या अभिप्राप्त करेगा या प्राप्त करने के लिए सहमत होगा या

प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि इसके परिणामस्वरूप कोई सुसंगत लोक कृत्य या क्रियाकलाप अनुचित रूप से या अन्यथा ऐसे वित्तीय या अन्य लाभ के प्रभाव में स्वयं उसके द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किया जाएगा ; या

(ख) किसी व्यक्ति से किसी वित्तीय या अन्य लाभ के लिए अनुरोध करेगा या अभिप्राप्त करेगा या प्राप्त करने के लिए सहमत होगा या प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और ऐसे अनुरोध, सहमति, प्रतिग्रहण या प्रयत्न से स्वतः ही किसी सुसंगत लोक कृत्य या क्रियाकलाप का अनुचित रूप से किया जाना गठित होता है ; या

(ग) किसी सुसंगत लोक कृत्य या क्रियाकलाप (चाहे स्वयं द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा) अनुचित रूप से किए जाने के लिए किसी इनाम के रूप में किसी वित्तीय या अन्य लाभ के लिए अनुरोध करेगा या अभिप्राप्त करेगा या प्राप्त करने के लिए सहमत होगा या प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा ; या

(घ) किसी व्यक्ति से किसी वित्तीय या अन्य लाभ के लिए अनुरोध करने, प्राप्त करने के लिए सहमत होने या प्रतिगृहीत करने की प्रत्याशा में या उसके परिणामस्वरूप किसी सुसंगत लोक कृत्य या क्रियाकलाप को अनुचित रूप से करेगा या किसी अन्य लोक सेवक को करने के लिए उत्प्रेरित करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 — इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि—

(क) ऐसा व्यक्ति कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वह लाभ सीधे या किसी अन्य पक्षकार के माध्यम से लेने का अनुरोध करता है या अभिप्राप्त करता है या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है या प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है (अथवा अनुरोध करे, प्राप्त करने के लिए सहमत हो या प्रतिगृहीत करने के लिए कहे) ;

(ख) ऐसा वित्तीय या अन्य लाभ उस व्यक्ति के, जो कोई लोक सेवक है या होने की प्रत्याशा रखता हैं, अथवा किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए है या होना है ।

स्पष्टीकरण 2—इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए यह जानता है या विश्वास करता है कि उस लोक कृत्य या क्रियाकलाप का किया जाना अनुचित है या यह कि वह लोक सेवक, जिसे किसी सुसंगत लोक कृत्य या क्रियाकलाप को अनुचित रूप से किए जाने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, यह जानता है या विश्वास करता है कि उस लोक कृत्य या क्रियाकलाप का किया जाना अनुचित है ।

स्पष्टीकरण 3—"लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखते हुए" से अभिप्रेत है : यदि कोई व्यक्ति, जो किसी पद पर होने की प्रत्याशा न रखते हुए ऐसे अन्य व्यक्ति को प्रवंचना से यह विश्वास कराकर कि वह पद ग्रहण करने वाला है और यह कि वह तब उसका उपकार करेगा, किसी व्यक्ति से कोई वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए सहमत होगा या प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, तो वह छल करने का दोषी हो सकेगा किंतु वह इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण 4—जहां कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को यह गलत विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि सरकार में उसके असर से उस व्यक्ति को हक या अन्य फायदा अभिप्राप्त हुआ है और इस प्रकार उस व्यक्ति को उसकी सेवाओं के लिए इनाम के रूप में लोक सेवक को कोई वित्तीय या अन्य लाभ देने के लिए उत्प्रेरित करता है, वहां वह इस धारा के अधीन लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध होगा ।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) कोई कृत्य या क्रियाकलाप लोक कृत्य या क्रियाकलाप होगा यदि—

(i) वह कृत्य या क्रियाकलाप किसी लोक प्रकृति का है ;

(ii) वह कृत्य या क्रियाकलाप किसी व्यक्ति के लोक सेवक के रूप में नियोजन के अनुक्रम में किया जाता है ;

(iii) उस कृत्य या क्रियाकलाप को करने वाले व्यक्ति से उसे निष्पक्ष रूप से और सद्भावपूर्वक किए जाने की प्रत्याशा है ; और

(iv) उस कृत्य या क्रियाकलाप को करने वाला व्यक्ति उसे करने के आधार पर न्यास की किसी स्थिति में है ;

(ख) कोई लोक कृत्य या क्रियाकलाप अनुचित रूप से किया गया होगा, यदि—

(i) वह किसी सुसंगत प्रत्याशा का भंग करके किया जाता है ; और

(ii) उस कृत्य या क्रियाकलाप को करने में असफलता हुई है और वह असफलता स्वतः ही किसी सुसंगत प्रत्याशा का भंग है ;

(ग) "सुसंगत प्रत्याशा" से–

(i) ऐसे किसी किए गए लोक कृत्य या क्रियाकलाप के संबंध में, यथास्थिति, निष्पक्ष रूप से या सद्भावपूर्वक लोक कृत्य या क्रियाकलाप किया जाना अभिप्रेत है ;

(ii) किसी न्यास की स्थिति में (ऐसे कृत्य या क्रियाकलाप को किए जाने के आधार पर) किए गए किसी लोक कृत्य या क्रियाकलाप के संबंध में उस रीति के बारे में जिसमें या उन कारणों से, जिनके लिए वह कृत्य या क्रियाकलाप किया जाएगा ऐसी प्रत्याशा अभिप्रेत है जो ऐसे न्यास की स्थिति से उद्भूत होती है ;

(घ) ऐसी किसी बात को, जो लोक सेवक करता है या करने का लोप करता है और जो उस व्यक्ति के पिछले किसी लोक कृत्य या क्रियाकलाप को करने से या उसके संबंध में उद्भूत होती है, उस व्यक्ति द्वारा उस कृत्य या क्रियाकलाप को करने में किया गया या किए जाने का लोप किया गया समझा जाएगा ;

(ङ) इस बात की परख उस बात की प्रत्याशित परख है जिसकी भारत में कोई युक्तियुक्त व्यक्ति संबंधित लोक कृत्य या क्रियाकलाप की किस्म का कार्य किए जाने के संबंध में प्रत्याशा करता है ।

किसी लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध ।

8. ऐसा कोई व्यक्ति जो—

(क) किसी अन्य व्यक्ति को कोई वित्तीय या अन्य लाभ पहुंचाने की प्रस्थापना करता है, का वचन देता है या पहुंचाता है और ऐसा वित्तीय या अन्य लाभ—

(i) किसी लोक सेवक को कोई लोक कृत्य या क्रियाकलाप अनुचित रूप से करने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए आशयित है ; या

(ii) ऐसे लोक सेवक को ऐसा लोक कृत्य या क्रियाकलाप अनुचित रूप से करने हेतु इनाम देने के लिए आशयित है ; या

(ख) किसी लोक सेवक को कोई वित्तीय या अन्य लाभ पहुंचाने की प्रस्थापना करता है, का वचन देता या पहुंचाता है और यह जानता है या विश्वास करता है कि ऐसे वित्तीय या अन्य लाभ को लोक सेवक द्वारा प्रतिगृहीत किए जाने से स्वतः ही किसी सुसंगत लोक कृत्य या क्रियाकलाप का अनुचित रूप से किया जाना गठित होगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :

परंतु जब इस धारा के अधीन अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है वहां ऐसा वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि वह व्यक्ति, जिसे वित्तीय या अन्य लाभ पहुंचाने की प्रस्थापना की जाती है, का वचन दिया जाता है या पहुंचाया जाता है, वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने संबंधित लोक कृत्य या क्रियाकलाप करना है या किया है और इस बात का भी कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा वित्तीय या अन्य लाभ उस व्यक्ति को सीधे या किसी अन्य पक्षकार के माध्यम से पहुंचाने की प्रस्थापना की जाती है, का वचन दिया जाता है या पहुंचाया जाता है ।

किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध।

9. (1) यदि किसी वाणिज्यिक संगठन से सहयोजित कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को—

(क) ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से ; और

(ख) ऐसे वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार के संचालन में कोई लाभ अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से,

कोई वित्तीय या अन्य लाभ पहुंचाने की प्रस्थापना करता है, का वचन देता है या पहुंचाता है, तो वह वाणिज्यिक संगठन अपराध का दोषी होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा :

परंतु वाणिज्यिक संगठन के लिए यह साबित करने का एक बचाव होगा कि उससे सहयोजित व्यक्तियों को ऐसा आचरण करने से निवारित करने के लिए उसने परिकल्पित पर्याप्त प्रक्रियाएं अपना रखी थीं ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी लोक सेवक को कोई वित्तीय या अन्य लाभ पहुंचाने की प्रस्थापना करता है, का वचन देता है या पहुंचाता है, केवल वह व्यक्ति ही धारा 8 के अधीन किसी अपराध का दोषी होता है या दोषी होगा, चाहे उस व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है अथवा नहीं ।

(3) धारा 8 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "वाणिज्यिक संगठन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) ऐसा कोई निकाय, जो भारत में निगमित किया जाता है और भारत में या भारत के बाहर कोई कारबार करता है ;

(ii) ऐसा कोई अन्य निकाय, जो भारत के बाहर निगमित किया जाता है और जो भारत के किसी भी भाग में कोई कारबार या कारबार का कोई भाग करता है;

(iii) ऐसी भागीदारी फर्म या कोई व्यक्ति-संगम जो भारत में बनाया गया है और जो (भारत में या भारत के बाहर) कोई कारबार करता है ; या

(iv) ऐसी कोई अन्य भागीदारी फर्म या व्यक्ति-संगम, जो भारत के बाहर बनाया जाता है और जो भारत के किसी भाग में कोई कारबार या कारबार का कोई भाग करता है ;

(ख) "कारबार" के अंतर्गत कोई व्यापार, वृत्ति या सेवा, जिसके अंतर्गत पूर्त सेवा भी है, उपलब्ध कराना आता है ;

(ग) किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक संगठन से उस दशा में सहयोजित कहा जाएगा यदि, कोई वित्तीय या अन्य लाभ पहुंचाने की प्रस्थापना किए जाने, का वचन दिए जाने या पहुंचाए जाने पर, जिससे उपधारा (1) के अधीन अपराध गठित होता है, ध्यान न देते हुए, ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति है जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है ।

स्पष्टीकरण 1—इस हैसियत, जिसमें व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति ऐसे वणिज्यिक संगठन का कर्मचारी या अभिकर्ता या समनुषंगी है, विचार का विषय नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण 2—इस बात का अवधारण कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है, सभी सुसंगत परिस्थितियों के प्रति निर्देश करके किया जाएगा न कि केवल उस व्यक्ति और वाणिज्यिक संगठन के बीच के संबंध की प्रकृति के प्रति निर्देश करके ।

स्पष्टीकरण 3—यदि वह व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन का कोई कर्मचारी है तो जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो वाणिज्यिक संगठन के लिए या उसकी ओर से सेवाएं करता है ।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8 या इस धारा के अधीन का अपराध संज्ञेय होगा । 1974 का 2

वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना ।

10. (1) जहां कोई वाणिज्यिक संगठन धारा 9 के अधीन किसी अपराध का दोषी रहा है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय, जब अपराध किया गया था, वाणिज्यिक संगठन के कारबार के संचालन के लिए उस वाणिज्यिक संगठन का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा यह कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 9 के अधीन कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध उस वाणिज्यिक संगठन के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी इस धारा के अधीन उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है ।।

धारा 11 का लोप ।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 का लोप किया जाएगा ।

धारा 12 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अधिनियम में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड ।

"12. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो अथवा नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"। 5

धारा 13 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा,—

(क) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेइमानी से या कपटपूर्वक दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है ; या 10

(ख) उसके या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन संबंधी साधन तथा ऐसी संपत्ति है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अननुपात में है अथवा उसके पद की कालावधि के दौरान किसी समय कब्जे में रही है जिसका कि वह लोक सेवक, समाधानप्रद लेखा-जोखा नहीं दे सकता । 15

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आय के ज्ञात स्रोत" से किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत है ।'।

धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड ।

"14. जो कोई, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उसके पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"। 20

धारा 15 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 15 में, "खंड (ग) या खंड (घ)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "खंड (क)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे । 25

नए अध्याय 4क का अंतःस्थापन ।

9. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'अध्याय 4क

संपत्ति की कुर्की और समपहरण

परिभाषाएं ।

18क. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— 30

(1) "दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति की तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) जहां ऐसी कार्यवाहियां अपील में उच्चतम न्यायालय में की जाती हैं, चाहे उच्च न्यायालय के प्रमाणपत्र के आधार पर या उससे अन्यथा, वहां वह तारीख जिसको उच्चतम न्यायालय उस अपील में अपना अंतिम आदेश पारित करता है ; या 35

(ख) जहां ऐसी कार्यवाहियां उच्च न्यायालय में की जाती हैं और उन पर कार्यवाहियों का निपटारा करने के आदेश पारित किए जाते हैं ; और

(i) उच्चतम न्यायालय में अपील करने की इजाजत हेतु प्रमाणपत्र के लिए उच्च न्यायालय में कोई आवेदन नहीं किया गया है, वहां उस तारीख से, जिसको उच्च न्यायालय अपने अंतिम आदेश पारित करता है, नब्बे दिन की समाप्ति के ठीक बाद का दिन ;

(ii) उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए इजाजत हेतु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, वहां प्रमाणपत्र की नामंजूरी की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के ठीक बाद का दिन ;

(iii) उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र दे दिया गया है, किंतु उच्चतम न्यायालय में कोई अपील दाखिल नहीं की जाती है, वहां प्रमाणपत्र देने के आदेश की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के ठीक बाद का दिन ; या

(ग) जहां ऐसी कार्यवाहियां उच्च न्यायालय में नहीं की जाती हैं, वहां कार्यवाहियों में विशेष न्यायाधीश के अंतिम निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के ठीक बाद का दिन ।

(2) "संपत्ति" से प्रत्येक वर्णन की कोई संपत्ति या आस्तियां अभिप्रेत हैं चाहे भौतिक हों या अभौतिक, जंगम हों या स्थावर, मूर्त हों या अमूर्त और इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति या आस्तियों के हक या उसमें हित को साक्ष्यित बनाने वाले विलेख और लिखतें भी हैं ।

कुर्की के लिए आवेदन ।

18ख. (1) जहां धारा 17 के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है और उस व्यक्ति ने ऐसे अपराध के द्वारा धन या अन्य संपत्ति उपाप्त की है तो अन्वेषण अधिकारी, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी भी प्रक्रम पर, चाहे न्यायालय ने संज्ञान लिया हो या नहीं, धारा 3 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के समक्ष उक्त धन या संपत्ति की या यदि ऐसे धन अथवा संपत्ति की किसी कारण से कुर्की नहीं की जा सकती है तो उक्त व्यक्ति की पूर्वोक्त धन या किसी अन्य संपत्ति के यथाशक्य निकटतम समतुल्य मूल्य की अन्य संपत्ति की कुर्की के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ उन आधारों को बताने वाले एक या अधिक शपथपत्र होंगे जिनके आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि उक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है और धन राशि या अन्य संपत्ति के मूल्य के बारे में यह विश्वास किया जा सकता है कि वह अपराध द्वारा उपाप्त की गई है ।

(3) आवेदन में निम्नलिखित भी दिया जाएगा,–

(क) तत्समय किसी ऐसी धनराशि या अन्य संपत्ति के अवस्थान के बारे में उपलब्ध कोई सूचना और यदि आवश्यक हो तो उसकी विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत उक्त व्यक्ति की अन्य संपत्ति का प्राक्कलित मूल्य भी है ;

(ख) किन्हीं अन्य व्यक्तियों के नाम और पते, जिनके बारे में उक्त व्यक्ति की संपत्ति में कोई हित या हक होने का विश्वास है या उसका दावा किए जाने की संभावना है ।

अंतरिम कुर्की।

18ग. (1) धारा 18ख के अधीन किसी आवेदन के प्राप्त होने पर जब तक कि विशेष न्यायाधीश की ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध, किए जाएंगे, यह राय नहीं है कि इस बात पर विश्वास करने का कोई प्रथमदृष्ट्या आधार नहीं है कि उस व्यक्ति ने, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या ऐसे व्यक्ति ने तद्द्वारा कोई धन या अन्य संपत्ति उपाप्त की है तो वह उस धन या अन्य संपत्ति को, जिसके बारे में यह अधिकथन किया गया है। कि वह इस प्रकार उपाप्त किया या की गई है या यदि यह प्रकट होता है कि उक्त धन या अन्य संपत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की समतुल्य मूल्य की ऐसी अन्य संपत्ति को अविलंब कुर्क किए जाने का अंतरिम आदेश पारित करेगा, जो विशेष न्यायाधीश ठीक समझे :

परंतु विशेष न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझे तो ऐसा आदेश पारित करने से पूर्व और ऐसा आदेश पारित करने से इंकार करने के पूर्व, आवेदन के साथ संलग्न शपथपत्र देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की परीक्षा कर सकेगा ।

(2) विशेष न्यायाधीश, जैसे ही उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित करता है, उसी समय वह उस व्यक्ति को, जिसका धन या अन्य संपत्ति कुर्क की गई है, आदेश, आवेदन, शपथपत्र और अभिलिखित साक्ष्य, यदि कोई हो, की प्रतियों के साथ एक सूचना, उससे यह कारण दर्शित करने हेतु जारी करेगा कि क्यों न आदेश को आत्यंतिक बना दिया जाए ।

(3) विशेष न्यायाधीश, उपधारा (2) के अधीन सूचना से संलग्न दस्तावेजों की प्रतियों के साथ, उस व्यक्ति की, जिसे उक्त उपधारा के अधीन सूचना जारी की गई है, संपत्ति में कोई हित या हक रखने या उसका दावा करने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने वाले संभावित उन सभी व्यक्तियों को भी सूचना जारी करेगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से उसी तारीख को, जो उक्त उपधारा के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, उपसंजात होने और आक्षेप करने, यदि वह संपत्ति या उसके किसी भाग की कुर्की के संबंध में इस आधार पर करना चाहे कि उस संपत्ति या उसके भाग में उसका हित है, की मांग की जाएगी ।

(4) कुर्क की गई संपत्ति या उसके किसी भाग में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, इस बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन उस पर कोई सूचना तामील नहीं की गई है, धारा 18घ की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय विशेष न्यायाधीश के समक्ष यथा पूर्वोक्त आक्षेप कर सकेगा ।

कुर्की संबंधी आक्षेपों की जांच।

18घ. (1) यदि धारा 18ग की उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व धारा 18ग के अधीन कोई कारण दर्शित नहीं किया जाता है और कोई आक्षेप नहीं किए जाते हैं तो विशेष न्यायाधीश तुरंत कुर्की के अंतरिम आदेश को आत्यंतिक बनाने का आदेश पारित करेगा ।

(2) यदि धारा 18ग के अधीन कारण दर्शित किया जाता है या कोई आक्षेप किए जाते हैं तो विशेष न्यायाधीश उनकी जांच करने की कार्यवाही करेगा और ऐसा करने में, जहां तक पक्षकारों की परीक्षा का संबंध है और अन्य सभी बातों के लिए वह इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण और किसी वाद की सुनवाई करने में किसी न्यायालय की और सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और धारा 18ग के अधीन कोई आक्षेप करने वाले किसी व्यक्ति से यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी कि कुर्की की तारीख को कुर्क की गई संपत्ति में उसका कुछ हित था ।

1908 का 5

(3) विशेष न्यायाधीश, उपधारा (2) के अधीन जांच करने के पश्चात् या तो कुर्की के अंतरिम आदेश को आत्यंतिक बनाने संबंधी या संपत्ति के एक भाग को कुर्की से

निर्मुक्त करके उसे परिवर्तित करने अथवा उस आदेश के वापस लेने संबंधी आदेश पारित करेगा :

परंतु विशेष न्यायाधीश,—

(क) ऐसे किसी हित को, जिसके बारे में उसका यह समाधान हो गया है कि उस व्यक्ति का, जिसके बारे में यह विश्वास है कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, संपत्ति में हित है, कुर्की से तब तक निर्मुक्त नहीं करेगा, जब तक उसका यह भी समाधान नहीं हो जाता है कि उक्त व्यक्ति को संपत्ति की उतनी मूल्य की राशि, जो उस संपत्ति के मूल्य से कम न हो, जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह उक्त व्यक्ति द्वारा उस अपराध के किए जाने से उपाप्त की गई है, कुर्की के अधीन बनी रहेगी ; या

(ख) कुर्की का आदेश तब तक वापस नहीं लेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि उक्त व्यक्ति ने अपराध के द्वारा कोई धन या अन्य संपत्ति उपाप्त नहीं की है ।

असद्भावी अंतरितियों की संपत्ति की कुर्की।

18ङ.(1) जहां किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके बारे में यह विश्वास है कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, कुर्की के लिए उपलब्ध आस्तियां उस राशि या मूल्य से कम पाई जाती हैं, जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह उसके द्वारा ऐसे अपराध के किए जाने से उपाप्त की गई है और जहां विशेष न्यायाधीश का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि उक्त व्यक्ति ने उस तारीख के पश्चात्, जिसको अपराध का किया जाना अभिकथित है, अपनी कोई संपत्ति सद्भावपूर्ण रूप से भिन्न रूप में और प्रतिफल के लिए अंतरित की है, वहां विशेष न्यायाधीश ऐसी संपत्ति के किसी अंतरिती से (चाहे उसने वह संपत्ति उक्त व्यक्ति से सीधे प्राप्त की हो अथवा नहीं) सूचना द्वारा, उस सूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को हाजिर होने की और यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि अंतरिती की उतनी संपत्ति को, जो अंतरित की गई संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर है, क्यों कुर्क नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) जहां उक्त अंतरिती उपधारा (1) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को हाजिर नहीं होता है या कारण दर्शित नहीं करता है या जहां धारा 18घ की उपधारा (2) में उपबंधित रीति में जांच किए जाने के पश्चात् विशेष न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि उक्त अंतरिती को संपत्ति का अंतरण सद्भावपूर्वक और प्रतिफल के लिए नहीं किया गया था, वहां विशेष न्यायाधीश उक्त अंतरिती की संपत्ति के उतने भाग की कुर्की का आदेश करेगा, जो विशेष न्यायाधीश की राय में अंतरित की गई संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर है ।

कुर्की के आदेशों का निष्पादन ।

18च. इस अध्याय के अधीन संपत्ति की कुर्की के आदेश को, यथासाध्य, किसी डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में उपबंधित रीति में प्रभावी किया जाएगा ।

1908 का 5

कुर्की के बदले में प्रतिभूति ।

18छ. ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति इस अध्याय के अधीन कुर्क की गई है या, कुर्क की जाने वाली है, किसी भी समय विशेष न्यायाधीश से ऐसी कुर्की के बदले प्रतिभूति दिए जाने की अनुज्ञा दिए जाने हेतु आवेदन कर सकेगा और जहां प्रस्थापित और दी गई प्रतिभूति विशेष न्यायाधीश की राय में समाधानप्रद और पर्याप्त है वहां वह कुर्की के आदेश को, यथास्थिति, वापस ले सकेगा या पारित करने से विरत रह सकेगा ।

कुर्की का प्रशासन ।

18ज. (1) विशेष न्यायाधीश, इस अध्याय के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर और, यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो विशेष न्यायाधीश,—

(क) कुर्क की गई ऐसी संपत्ति से, जिसका आवेदक उसमें हित होने का दावा करता है, उतनी धनराशि का, जो आवेदक और उसके कुटुंब के भरण-पोषण के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समझी जाए; तथा जहां अपराध के लिए किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित की गई है, वहां उसकी प्रतिरक्षा से संबंधित व्यय दिलाने के लिए,

(ख) कुर्की द्वारा प्रभावित किसी कारबार के हितों की और विशिष्टतया ऐसे कारबार में किन्हीं भागीदारों के हितों की यथासाध्य सुरक्षा के लिए,

न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझे ।

(2) जहां विशेष न्यायाधीश को यह न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत होता है, वहां वह आदेश द्वारा इस अध्याय के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति का ऐसे अनुदेशों के अनुसार, जो विशेष न्यायाधीश समय-समय पर देना उचित समझे, प्रबंध करने के लिए किसी रिसीवर की नियुक्ति कर सकेगा और जहां इस प्रकार रिसीवर नियुक्त किया जाता है वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 40 के नियम 2, नियम 3, नियम 4 और नियम 5 के उपबंध लागू होंगे । 1908 का 5

कुर्की की अवधि।

18ञ. इस अधिनियम के अधीन संपत्ति की कुर्की का आदेश, जब तक उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पहले वापस न ले लिया गया हो,—

(क) जहां किसी न्यायालय ने उस समय जब आदेश लागू किया जाता है, अभिकथित अपराध का संज्ञान नहीं लिया है, वहां, यथास्थिति, धारा 18ग की उपधारा (1) या धारा 18ङ की उपधारा (2) के अधीन आदेश की तारीख से एक वर्ष प्रवृत्त रहेगा, जब तक ऐसे अपराध का उस बीच संज्ञान नहीं ले लिया गया हो या जब तक विशेष न्यायाधीश का अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण पूरा न किए जाने का कारण दर्शित करते हुए आवेदन किए जाने पर समाधान नहीं हो गया हो और यदि न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि युक्तियुक्त आधार विद्यमान हैं, तो कुर्की की अवधि को छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा;

(ख) जहां न्यायालय ने उस समय से पूर्व या पश्चात् जब न्यायालय द्वारा संपत्ति की कुर्की का आदेश किया जाता है, अधिकथित अपराध का संज्ञान ले लिया है वह तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि विशेष न्यायाधीश द्वारा दांडिक कार्यवाहियों के पर्यावसान के पश्चात् ऐसी संपत्ति के व्ययन की बाबत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित नहीं कर दिए जाते ।

अपीलें ।

18ञ. (1) यदि, यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने धारा 18ग या धारा 18ङ के अधीन कारण दर्शित किया है या धारा 18ग के अधीन कोई आक्षेप किया है या धारा 18छ या धारा 18ज के अधीन कोई आवेदन किया है, विशेष न्यायाधीश द्वारा इस अध्याय के किसी पूर्वगामी उपबंधों के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित है तो वह उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित किया गया था तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकारों को, जिन्हें वह उचित समझे, सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(3) जब तक उपधारा (1) के अधीन की गई अपील का उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर दिया जाता तब तक कोई भी न्यायालय उस संपत्ति की कुर्की की बाबत, जिससे अपील संबंधित है, धारा 18छ या धारा 18ठ के उपबंधों से भिन्न रूप से आदेश पारित नहीं करेगा ।

अपराध द्वारा उपाप्त संपत्ति का न्यायालय द्वारा मूल्यांकन करना ।

18ट. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी दांडिक विचारण में निर्णय सुनाए जाने के पूर्व न्यायालय को यह अभ्यावेदन किया जाता है कि ऐसे अपराध के संबंध में इस अध्याय के अधीन संपत्ति की कुर्की का आदेश पारित किया जा चुका है वहां न्यायालय, यदि उसके द्वारा अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया जा रहा है तो अभियुक्त द्वारा अपराध के द्वारा उपाप्त धनराशि या अन्य संपत्ति के मूल्य की बाबत निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(2) ऐसी दोषसिद्धि के विरुद्ध किसी अपील या पुनरीक्षण कार्यवाहियों में अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, जब तक वह दोषसिद्धि को अपास्त नहीं कर देता है, ऐसे निष्कर्ष की पुष्टि करेगा या उसे ऐसी रीति में उपांतरित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(3) ऐसे किसी विचारण में, जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध किसी अपील या पुनरीक्षण संबंधी कार्यवाहियों में, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, यदि वह अभियुक्त को दोषसिद्ध करता है, उस उपधारा में निर्दिष्ट किए गए अनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(4) जहां अभियुक्त को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और जहां ऐसा प्रतीत होता है कि उस अपराध से एक से अधिक सरकार या प्राधिकरण या निगम या धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी को हानि हुई है, वहां न्यायालय, पूर्वगामी उपधाराओं में निर्दिष्ट संबंधित निष्कर्ष में, यथास्थिति, प्रत्येक ऐसी सरकार या प्राधिकरण या निगम या सरकारी कंपनी द्वारा उठाई गई हानि की रकम को उपदर्शित करेगा ।

(5) जहां अभियुक्त को इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट एक या अधिक अपराधों के लिए उसी विचारण में सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां न्यायालय, पूर्वगामी उपधाराओं में निर्दिष्ट संबंधित निष्कर्ष में दो वर्गों के अपराधों द्वारा उपाप्त रकमों को पृथक् रूप में उपदर्शित करेगा ।

दांडिक कार्यवाहियों के पर्यवसान पर कुर्क की गई संपत्ति का व्ययन ।

18ठ. (1) इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध से संबंधित किन्हीं दांडिक कार्यवाहियों के पर्यवसान पर, जिसके संबंध में इस अध्याय के अधीन संपत्ति की कुर्की का कोई आदेश किया गया है या उसके बदले प्रतिभूति दी गई है, यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति अविलंब विशेष न्यायाधीश को उसकी सूचना देगा और जहां दांडिक कार्यवाहियां किसी न्यायालय में की गई हैं वहां विशेष न्यायाधीश को उस संबंध में विचारण न्यायालय के निर्णय या आदेश की प्रति और अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय या आदेशों की प्रतियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विशेष न्यायाधीश को यह रिपोर्ट दी जाती है कि अधिकथित अपराध का संज्ञान नहीं लिया गया है या जहां न्यायालय का अंतिम निर्णय या आदेश दोषमुक्ति से संबंधित है वहां विशेष न्यायाधीश अपराध के संबंध में किए गए संपत्ति की कुर्की के किन्हीं आदेशों को तुरंत वापस ले लेगा या जहां कुर्की के बदले प्रतिभूति दी गई है वहां उस प्रतिभूति को वापस करने का आदेश करेगा ।

(3) जहां न्यायालय का अंतिम निर्णय या आदेश दोषसिद्धि का है, वहां विशेष न्यायाधीश यह आदेश करेगा कि इस अध्याय के अधीन सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति की कुर्क की गई संपत्ति से या ऐसी कुर्की के बदले दी गई प्रतिभूति में से उतनी रकम या उतना मूल्य, जितना धारा 18ट के अनुसरण में न्यायालयों के अंतिम निर्णय या आदेश में सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति द्वारा उस अपराध द्वारा उपाप्त किया गया पाया गया है, और साथ ही विशेष न्यायाधीश द्वारा यथा अवधारित कुर्की के खर्चे, यथास्थिति, राज्य सरकार

या केंद्रीय सरकार को समपहृत हो जाएंगे और जहां न्यायालय के अंतिम निर्णय या आदेश ने उक्त व्यक्ति पर जुर्माने का दंड अधिरोपित किया है या जुर्माने के दंडादेश को मान्य ठहराया है (चाहे केवल जुर्माना या किसी अन्य दंड के संयोजन से) वहां विशेष न्यायाधीश, वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह आदेश कर सकेगा कि उक्त जुर्माने की वसूली उक्त कुर्क की गई संपत्ति के अवशेष से या कुर्की के बदले दी गई प्रतिभूति से की जाएगी ।

(4) जहां वे धनराशियां, जिनका उपधारा (3) के अधीन समपहृत या वसूल किए जाने का आदेश किया गया है, सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति की कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य से अधिक हैं और जहां सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति के अंतरिती की संपत्ति को धारा 18ङ के अधीन कुर्क किया गया है, वहां विशेष न्यायाधीश यह आदेश करेगा कि अतिशेष राशि, जिसकी उपधारा (3) के अधीन समपहृत किए जाने का आदेश किया गया है विशेष न्यायाधीश द्वारा यथा अवधारित अंतरिती की संपत्ति की कुर्की के खर्चों के साथ अंतरिती की कुर्क की गई संपत्ति से या ऐसी कुर्की के बदले दी गई प्रतिभूति से सरकार को समपहृत हो जाएगी और विशेष न्यायाधीश वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह आदेश कर सकेगा कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी जुर्माने या उसके ऐसे किसी भाग की, जिसकी उक्त उपधारा के अधीन वसूली नहीं की गई है, अंतरिती की कुर्क की गई संपत्ति या ऐसी कुर्की के बदले दी गई प्रतिभूति में से वसूली की जाएगी।

(5) यदि कोई संपत्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में कुर्की के अधीन रहती है या ऐसी कुर्की के बदले दी गई प्रतिभूति उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन विशेष न्यायाधीश के आदेश के प्रभावी होने के पश्चात् उसके पास रह जाती है तो, यथास्थिति, विशेष न्यायाधीश के आदेश के अधीन शेष बची ऐसी संपत्ति के संबंध में कुर्की का आदेश तुरंत वापस ले लिया जाएगा या शेष प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी।

(6) ऐसी प्रत्येक राशि, जिसको इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में इस धारा के अधीन समपहृत किए जाने का आदेश किया गया है, विशेष न्यायाधीश द्वारा यथा अवधारित खर्चों की कटौती करने के पश्चात् सरकार या उस प्राधिकरण या निगम या अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के खाते में जमा कर दी जाएगी, जिसको उस अपराध के कारण हानि हुई है या जहां, यथास्थिति, ऐसी सरकार या प्राधिकरण निगम या सरकारी कंपनी एक से अधिक हैं, वहां वह राशि यथा पूर्वोक्त कटौती करने के पश्चात्, उनमें से प्रत्येक द्वारा उठाई गई हानि के अनुपात में उनके बीच संवितरित कर दी जाएगी ।

अन्य कार्यवाहियों का वर्जन ।

18ड. धारा 18ञ में यथा उपबंधित के सिवाय और किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसको धारा 18ग या धारा 18ङ के अधीन कोई सूचना तामील की गई है या जिसने धारा 18ग की उपधारा (4) के अधीन कोई आक्षेप किया है,—

(i) ऐसी किसी संपत्ति के संबंध में, जिसे धारा 18ठ के अधीन समपहृत किए जाने का आदेश किया गया है या जिसे उस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में जुर्माने की वसूली में ग्रहण कर लिया गया है ; या

(ii) जहां कोई अन्य संपत्ति इस अध्याय के अधीन कुर्क की जाती है वहां ऐसी अन्य संपत्ति के संबंध में,

किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही कायम रखे जाने योग्य नहीं होगी ; और

(ख) कोई भी न्यायालय, किसी विधिक कार्यवाही में या अन्यथा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति न हो, लाए गए किसी वाद में अंतिम डिक्री से भिन्न, ऐसी कोई डिक्री या आदेश पारित नहीं करेगा, जिसका प्रभाव इस अध्याय के अधीन संपत्ति कुर्की के किसी विद्यमान आदेश को या विशेष न्यायाधीश के कुर्की के किसी आदेश के बदले प्रतिभूति प्राप्त करने के अधिकार को किसी प्रकार से अकृत या प्रभावित करना हो ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

18ढ. इस अध्याय के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।' ।

धारा 19 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में,—

(i) "धारा 7, धारा 10, धारा 11, धारा 13 और धारा 15" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 7, धारा 13 और धारा 15" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, "नियोजित है," शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ख) में, "नियोजित है," शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध किए जाने के समय नियोजित था" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु, किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए ऐसी सरकार या ऐसे प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के लिए, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी को कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि,—

(i) ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अभिकथित अपराधों के बारे में, जिनके लिए लोक सेवक को अभियोजित किए जाने की ईप्सा की गई है, किसी सक्षम न्यायालय में कोई परिवाद फाइल न किया हो ; और

1974 का 2

(ii) न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 203 के अधीन परिवाद खारिज न कर दिया हो और परिवादी को लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के लिए आगे कार्रवाई करने के लिए मंजूरी अभिप्राप्त करने का निदेश न दे दिया हो :

परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी से भिन्न व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने की दशा में, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी, संबद्ध लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना किसी लोक सेवक को अभियोजित करने के लिए मंजूरी नहीं देगा :

परंतु यह भी कि, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन अपना विनिश्चय तीन मास की अवधि के भीतर संसूचित करेगा, जिसे समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले उन कारणों से कि यथास्थिति, महान्यायवादी या महाधिवक्ता से परामर्श करना अपेक्षित है, एक मास की और अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा ।"।

धारा 20 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

जहां लोक सेवक वित्तीय या अन्य लाभ या कोई मूल्यवान वस्तु प्रतिगृहीत करता है वहां उपधारणा ।

"20. जहां धारा 7 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कोई वित्तीय या अन्य लाभ अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमति दी है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति, उस वित्तीय या अन्य लाभ को इस आशय से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है कि इसके परिणामस्वरूप, कोई सुसंगत लोक कृत्य या क्रियाकलाप या तो स्वयं उसके द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा अनुचित रूप से किया जाएगा ।"।

धारा 24 का लोप ।

12. मूल अधिनियम की धारा 24 का लोप किया जाएगा ।

1944 के अध्यादेश 38 का संशोधन ।

13. दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 की अनुसूची में,—

(i) पैरा 4क का लोप किया जाएगा ;

(ii) पैरा 5 में, "मद 2, मद 3, मद 4 और मद 4क," शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "मद 2, मद 3 और मद 4" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

1946 के अधिनियम 25 का संशोधन।

14. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क की उपधारा (1) में, "जहां उसका अभिकथन" – से आरंभ होकर "(ख) ऐसे अधिकारियों के संबंध में है" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा—

जहां ऐसा अभिवादन ऐसे व्यक्तियों के संबंध में है,—

(क) जो केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के कर्मचारी हैं या रहे हैं; और

(ख) जो ऐसे अधिकारी हैं या रहे हैं;"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में भ्रष्टाचार निवारण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध है। भारत द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संबंधी कन्वेंशन का, रिश्वत और भ्रष्टाचार के अपराध के उपचार पर अंतरराष्ट्रीय पद्धति का अनुसमर्थन किए जाने के कारण तथा न्यायिक निर्णयों के कारण अधिनियम के विद्यमान उपबंधों का पुनर्विलोकन करना तथा इनका संशोधन करना आवश्यक हो गया है जिससे कि इसे वर्तमान अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार लाने और पूर्वोक्त कन्वेंशन के अधीन देश की बाध्यताओं को अति प्रभावपूर्ण रूप से पूरा करने के लिए रिश्वत के अपराध के वर्णन और व्यक्ति के बीच के अंतर में पाटा जा सके। अत: यह वर्तमान विधेयक लाया गया है।

2. विधेयक के अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं—

(क) अधिनियम की धारा 7 में, इस समय, लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लिए जाने के अपराध का वर्णन है। इस अपराध की परिभाषा के स्थान पर एक नई व्यापक परिभाषा, जिसमें कि अकर्मण्य रिश्वत के सभी पहलुओं को, जिनके अंतर्गत मध्यवर्तियों के माध्यम से रिश्वत की याचना और प्रतिग्रहण तथा लोक सेवकों द्वारा अपनी सक्षमता से बाहर जाकर कार्य करने के कृत्य भी हैं, समाविष्ट हैं, प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) अधिनियम में, इस समय कर्मण्य घरेलू रिश्वत, अर्थात् रिश्वत देने के अपराध के संबंध में प्रत्यक्षत: कार्रवाई किए जाने संबंधी कोई उपबंध नहीं हैं। अधिनियम की धारा 12 में, जिसमें धारा 7 या धारा 11 में परिभाषित अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंड का उपबंध है, अपराध अप्रत्यक्षत: समाविष्ट है। धारा 24 में यह उपबंध है कि अधिनियम की धारा 7 से धारा 11, धारा 13 और धारा 15 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी कार्यवाही में रिश्वत देने वाले द्वारा किए गए कथन से धारा 12 के अधीन उसके विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं हो सकेगा। अनुभव से यह प्रतीत होता है कि अधिकांश मामलों में, रिश्वत देने वाला धारा 24 के उपबंधों का सहारा लेकर साफ बच जाता है और सहमति से ली गई रिश्वत से निपटना बहुत कठिन हो जाता है। पूर्वोक्त कन्वेंशन में यह व्ययदिष्ट है कि किसी लोक सेवक को स्वयं पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई के लिए प्रत्यक्षतया या अप्रत्यक्षतया असम्यक् लाभ, जिससे कि वह पदाधिकारी अपने पदीय कर्तव्यों को करे या करने से विरत रहे, का वचन देने, उसकी प्रस्थापना करने या पहुंचाने के कार्य को दांडिक अपराध बनाया जाए। तदनुसार उक्त बाध्यता को पूरा करने के लिए धारा 8 के स्थान पर एक नई धारा 8 प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) चूंकि रिश्वत की प्रस्तावित नई परिभाषाएं, असम्यक् लाभ की याचना करने और प्रतिगृहीत करने और किसी लोक पदाधिकारी को प्रत्यक्षतया या अप्रत्यक्षतया कोई असम्यक् लाभ देने का वचन देने, उसकी प्रस्थापना करने या पहुंचाने, दोनों के संबंध में, उन सभी अपराधों को, जो इस समय अधिनियम की धारा 8 में, जिसमें लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण लेना सम्मिलित है, धारा 9 में, जिसमें लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण लेना सम्मिलित है, धारा 10 में, जिसमें लोक सेवक द्वारा धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड का उपबंध है; और धारा 11 में, जिसमें लोक सेवक के लिए, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से संबंधित व्यक्ति से प्रतिफल के बिना मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है, उपबंध है, उपबंधित हैं और इस समय धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) में परिभाषित अपराधों को भी सम्मिलित किए जाने के लिए अत्यंत व्यापक पाई गई हैं, अत: उक्त धाराओं का लोप करने का प्रस्ताव है;

(घ) धारा 9 को, किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध के लिए दंड का उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें यह उपबंध है कि यदि वाणिज्यिक संगठन से सहयोजित कोई व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन के लिए कारबार या उसके कारबार के संचालन में कोई लाभ अभिप्राप्त करने या प्रतिधारित करने के आशय से किसी लोक

सेवक को कोई वित्तीय या अन्य लाभ देने की प्रस्थापना करता है, का वचन देता है या पहुंचाता है, तो वह इस अपराध के लिए दोषी होगा। प्रस्तावित धारा 10 में ऐसे किसी वाणिज्यिक संगठन के, जो प्रस्तावित धारा 9 के अधीन अपराध का दोषी रहा है, भारसाधक व्यक्ति को दंडित किए जाने का उपबंध है;

(ङ) इस समय धारा 12 में, धारा 7 अथवा धारा 11 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड का उपबंध है। अधिनियम की धारा 12 को, अधिनियम के अधीन सभी अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड का उपबंध करने हेतु प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है;

(च) धारा 13 की उपधारा (1) के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि ऊपर यथावर्णित उपधारा (1) के विद्यमान खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) का लोप किया जा सके; किसी लोक सेवक द्वारा अननुपातिक आस्तियों को कब्जे में रखने से संबंधित विद्यमान खंड (ङ) में साशय समृद्धि के तत्त्व को समाविष्ट किया जा सके; और स्पष्टीकरण में यथा अन्तर्विष्ट ''आय के ज्ञात स्रोत'' की परिभाषा में से लोक सेवक को लागू किसी विधि, नियमों या आदेशों के अनुसार संसूचना दिए जाने की अपेक्षा को समाप्त करके उसकी परिभाषा विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय अभिप्रेत है, करने के लिए उपारंतरण किया जा सके;

(छ) इस समय धारा 14 में, धारा 8, धारा 9 और धारा 12 के अधीन अभ्यासत: अपराध किए जाने का उपबंध है। धारा 14 को, अधिनियम के अधीन अभ्यासत: सभी अपराधों के किए जाने के लिए दंड का उपबंध करने हेतु प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ज) इस समय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में रिश्वत और रिश्वत के आगमों के अधिहरण के लिए विनिर्दिष्ट रूप से कोई उपबंध नहीं है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का संशोधन करने के लिए एक विधेयक अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944 के अनुरूप, भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति की कुर्की और समपहरण के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में एक नया अध्याय 4क अन्त:स्थापित किए जाने का उपबंध है, लोक सभा में 19 दिसम्बर, 2008 को पुर:स्थापित किया गया था और लोक सभा द्वारा उसे 23 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया था। तथापि, उक्त विधेयक चौदहवीं लोक सभा का विघटन हो जाने के कारण व्यपगत हो गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2008 के विधेयक के अनुरूप वैसे ही उपबंध अन्त:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(झ) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008 में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के अनुरूप, किसी लोक सेवक की सेवानिवृत्ति या उसके द्वारा पद छोड़ दिए जाने के पश्चात् सरकार या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी का संरक्षण प्रदान करने के लिए, जिससे कि लोक सेवक को अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किसी सद्भावपूर्ण किए गए लोप या कार्य के लिए तंग करने वाले अभियोजन से संरक्षा प्रदान की जा सके, अधिनियम की धारा 19 का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया था, चूंकि यह विधेयक व्यपगत हो गया है, अत: यह संरक्षा इस समय ऐसे किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है जो लोक सेवक नहीं रह गया है। अत: धारा 19 का, उक्त संरक्षा उन व्यक्तियों को, जो लोक सेवक नहीं रह गए हैं, प्रदान करने के लिए उक्त विधेयक के अनुरूप उपबंध करने के लिए संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के हाल के एक निर्णय को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 19 का, अभियोजन की मंजूरी के लिए स्पष्ट मापदंड और प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह प्रक्रम भी है जिस पर मंजूरी की ईप्सा की जा सकेगी, वह समय-सीमा जिसके भीतर आदेश पारित किया जाना होगा, अधिकथित किए जाने के लिए संशोधन किए जाने के प्रश्न की केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षा की गई थी और अधिनियम की धारा 19 में समुचित उपबंध समाविष्ट करने का प्रस्ताव है;

(ञ) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम; 1946 की धारा 6क में केन्द्रीय सरकार ने नीति बनाने के स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा उनके विरुद्ध कोई जांच या अन्वेषण किए जाने के पूर्व केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की संरक्षा अन्तर्विष्ट है। चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क के अधीन संरक्षा के पीछे मूलभूत सिद्धान्त एक ही अर्थात् ईमानदार सिविल सेवकों को लोक कर्तव्य के सद्भावी अनुपालन में किए गए कार्यों के लिए, अन्वेषण या अभियोजन के रूप में, तंग किए

जाने से संरक्षा प्रदान करने का है, अतः यह महसूस किया गया है कि इन दोनों उपबंधों के अधीन भी यह संरक्षा लोक सेवकों को, यथास्थिति, उनके लोक सेवक न रह जाने के पश्चात् अथवा उनके द्वारा नीति विषयक स्तर का संवेदनशील पद धारण न करने के पश्चात् भी उपलब्ध रहनी चाहिए। तदनुसार नीति विषयक स्तर के ज्येष्ठ पद धारण करने वाले सिविल सेवकों को उनके प्रत्यावर्तन या सेवानिवृत्ति या किन्हीं अन्य कारणों से ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात् भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन आने वाले अपराध के संबंध में कोई जांच या अन्वेषण किए जाने के पूर्व केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की संरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

3. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वी॰ नारायणसामी

नई दिल्ली;
24 जुलाई, 2013.

उपाबंध

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 49) से उद्धरण

* * * * * *

5. (1) * * * *

प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्तियां ।

(6) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का विचारण करते समय विशेष न्यायाधीश दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोक्तव्य सभी सिविल शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा। 1944 का अध्यादेश संख्यांक 38

* * * *

अध्याय 3

अपराध और शास्तियां

लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लिया जाना।

7. जो कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का भी कोई परितोषण इस बात के करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अननुग्रह दिखाए या दिखाने से प्रविरत रहे अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार या संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल में या धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कंपनी में या किसी लोक सेवक के यहां, चाहे वह नामित हो या नहीं, किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— (क) ''लोक सेवक होने की प्रत्याशा रखते हुए'' — यदि कोई व्यक्ति जो किसी पद पर होने की प्रत्याशा न रखते हुए, दूसरों को प्रवंचना से यह विश्वास करा कर कि वह किसी पद पर होने वाला है और यह कि तब वह उनका उपकार करेगा, उससे परितोषण अभिप्राप्त करेगा, तो वह छल करने का दोषी हो सकेगा किंतु वह इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी नहीं है।

(ख) ''परितोषण'' — ''परितोषण'' शब्द धन संबंधी परितोषण तक, या उन परितोषणों तक ही, जो धन में आंके जाने योग्य हैं, निर्बंधित नहीं है।

(ग) ''वैध पारिश्रमिक'' — ''वैध पारिश्रमिक'' शब्द उस पारिश्रमिक तक ही निर्बंधित नहीं है जिसकी मांग कोई लोक सेवक विधिपूर्ण रूप से कर सकता है, किंतु इसके अंतर्गत वह समस्त पारिश्रमिक आता है जिसको प्रतिगृहीत करने के लिए उस सरकार या संगठन द्वारा, जिसकी सेवा में वह है, उसे अनुज्ञा दी गई है।

(घ) ''करने के लिए हेतुक या इनाम'' — वह व्यक्ति जो वह कार्य करने के लिए हेतुक या इनाम के रूप में, जिसे करने का उसका आशय नहीं है, या जिसे करने की स्थिति में वह नहीं है या जो उसने नहीं किया है, परितोषण प्राप्त करता है, इस पद के अंतर्गत आता है।

(ङ) जहां कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को यह गलत विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि सरकार में उसके असर से उस व्यक्ति को कोई हक अभिप्राप्त हुआ है, और इस प्रकार उस व्यक्ति को इस सेवा के लिए पुरस्कार के रूप में लोक सेवक को धन या कोई अन्य परितोषण देने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो यह इस धारा के अधीन लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध होगा।

लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना।

8. जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भी कोई परितोषण किसी लोक सेवक को, चाहे वह नामित हो या नहीं, भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतु या इनाम के रूप से किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अननुग्रह दिखाए अथवा या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में या संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल में या धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सरकारी कंपनी में या किसी लोक सेवक के यहां चाहे वह नामित हो या नहीं किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण का लेना।

9. जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का भी कोई परितोषण किसी लोक सेवक को, चाहे वह नामित हो या नहीं, अपने वैयक्तिक असर के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह या अननुग्रह दिखाए अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार या संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल में या धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकारी कंपनी में या किसी लोक सेवक के यहां, चाहे वह नामित हो या नहीं, किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

लोक सेवक द्वारा धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड।

10. जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जिसके बारे में उन अपराधों में से कोई अपराध किया जाए, जो धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित हैं, उस अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई या कारबार से संबद्ध व्यक्ति से प्रतिफल के बिना मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है।

11. जो कोई लोक सेवक होते हुए, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से वह व्यक्ति संपृक्त रह चुका है, या है या उसका संपृक्त होना संभाव्य है, या स्वयं उसके या किसी ऐसे लोक सेवक के, जिसका वह अधीनस्थ है, पदीय कृत्यों से वह व्यक्ति संपृक्त है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह इस प्रकार संपृक्त व्यक्ति से हितबद्ध है या नातेदारी रखता है, किसी मूल्यवान चीज को किसी प्रतिफल के बिना, या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसे वह जानता है, कि अपर्याप्त है, प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करेगा, या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

धारा 7 या धारा 11 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड।

12. जो कोई धारा 7 या धारा 11 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार।

13. (1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाता है,—

(क) यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है किसी व्यक्ति से अभ्यासतः प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, या

(ख) यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज प्रतिफल के बिना या एसे प्रतिफल के लिए जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका कि अपने द्वारा या किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा, जिसके वह अधीनस्थ है, की गई या की जा सकने वाली किसी कार्रवाई

या कारबार से संबद्ध रहा होना, होना या हो सकना वह जानता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका ऐसे संबद्ध व्यक्ति में हितबद्ध या उससे संबंधित होना वह जानता है, अभ्यासत: प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रत्यत्न करता है; या

(ग) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेइमानी से या कपटपूर्वक दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, या

(घ) यदि वह—

(i) भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त करता है; या

(ii) लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का अन्यथा दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा अभिप्राप्त करता है; या

(iii) लोक सेवक के रूप में पद धारण करके किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी फायदा बिना किसी लोक हित के अभिप्राप्त करता है; या

(ङ) यदि उसके या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन संबंधी साधन तथा ऐसी संपत्ति है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों की अननुपातिक है अथवा उसके पद की कालावधि के दौरान किसी समय कब्जे में रही है जिसका कि वह लोक सेवक, समाधनप्रद लेखा-जोखा नहीं दे सकता।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''आय के ज्ञात स्रोत'' से अभिप्रेत है किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय, जिस प्राप्ति की संसूचना, लोक सेवक को तत्समय लागू किसी विधि, नियमों या आदेशों के उपबंधों के अनुसार दे दी गई है।

* * * * *

धारा 8, धारा 9 और धारा 12 के अधीन अभ्यासत: अपराध करना।

14. जो कोई:—

(क) धारा 8 या धारा 9 के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासत: करेगा; या

(ख) धारा 12 के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासत: करेगा,

वह इतनी अवधि के लिए जो दो वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

प्रयत्न के लिए दंड।

15. जो कोई धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

* * * * *

अध्याय 5

अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य प्रकीर्ण उपबंध

अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना।

19. (1) कोई न्यायालय धारा 7, धारा 10, धारा 11, धारा 13 और धारा 15 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जिसकी बाबत यह अभिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा—

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के मामलों के संबंध में, नियोजित है और जो अपने पद से केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है;

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो राज्य के मामलों के संबंध में, नियोजित है और जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता है;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उसे उसके पद से हटाने के लिए, सक्षम प्राधिकारी।

जहां लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण प्रतिगृहीत करता है, वहां उपधारणा।

20. (1) जहां धारा 7 या धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन दंडनीय अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त की है अथवा प्रतिगृहीत करने के लिए सहमति दी है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है; वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति, उस परितोषण या मूल्यवान चीज को ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है, या, यथास्थिति, प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है, प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है अथवा प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत हुआ है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है।

(2) जहां धारा 12 के अधीन या धारा 14 के खंड (ख) के अधीन दंडनीय अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज दी है या देने की प्रस्थापना की है, या देने का प्रयत्न किया है, वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने, यथास्थिति, उस परितोषण या मूल्यवान चीज को ऐसे हेतुक या इनाम के रूप में, जैसा धारा 7 में वर्णित है या, यथास्थिति, प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका अपर्याप्त होना वह जानता हो, दिया है या देने की प्रस्थापना की है या देने का प्रयत्न किया है।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय उक्त उपधाराओं में से किसी में निर्दिष्ट उपधारणा करने से इंकार कर सकेगा यदि पूर्वोक्त परितोषण या चीज, उसकी राय में, इतनी तुच्छ है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष उचित रूप से नहीं निकाला जा सकता।

* * * * *

रिश्वत देने वाले का उसके कथन पर अभियोजित न होना।

24. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 7 से धारा 11 या धारा 13 या धारा 15 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति के इस कथन से कि उसने उस लोक सेवक को (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज देने की प्रस्थापना की थी या प्रस्थापना करने के लिए सहमति दी थी, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धारा 12 के अधीन कोई अभियोजन नहीं हो सकेगा।

* * * * *

दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 से उद्धरण

(1944 का अध्यादेश संख्यांक 38)

* * * * *

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

ऐसे अपराध, जिनके संबंध में संपत्ति कुर्की किए जाने के दायित्वाधीन है

* * * * *

1988 का 49

4क. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय कोई अपराध।

* * * * *

5. मद 2, मद 3 और मद 4 में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी को किए जाने का कोई षडयंत्र या किए जाने का कोई प्रयास या उसका कोई दुष्प्रेरण।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम संख्यांक 25 से उद्धरण)

* * * * *

जांच या अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन।

6क. (1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन ऐसे किसी अपराध की, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, कोई जांच या अन्वेषण नहीं करेगा जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किया गया अभिकथित है, जहां उसका अभिकथन,— 1988 का 49

(क) केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के कर्मचारियों के संबंध में है; और

(ख) ऐसे अधिकारियों के संबंध में है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों में नियुक्त किए गए हैं।

* * * * *

GMGIPMRND—2017RS—14-08-2013.